

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 91/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/172

दायर दिनांक :- 24.04.2025

निर्णय दिनांक :- 28.04.2026

01. सवाईलाल ढोली पुत्र राणुलाल जाति ढोली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
-वादी

बनाम

01. तीजोदेवी पत्नि भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
02. नखताराम पुत्र भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
03. बरजूदेवी पुत्री भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
04. बाधूदेवी पुत्री भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
05. बीरबलराम पुत्र भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
06. भंवरीदेवी पुत्री भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
07. मुल्तानाराम पुत्र भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
08. लक्ष्मीदेवी पुत्री भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
09. सुआ पत्नि राणुलाल जाति ढोली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप

-प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम जैतडासर पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 912/2912 रकबा 7.4057 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी के साक्ष्य का शपथ पत्र व बयान पी.डबल्यू-1 कलमबद्ध कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर ग्राम जैतडासर पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 912/2912 रकबा 7.4057 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का

Satya...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम जैतड़ासर पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 912/2912 रकबा 7.4057 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	सवाईलाल ढोली पुत्र राणुलाल ढोली जाति ढोली सा. देह खातेदार	जैतड़ासर	912/2912	0.3965 हैक्टेयर	बी-3
2	सुआ पत्नि राणुलाल जाति ढोली सा.देह खातेदार	जैतड़ासर	912/2912	0.3965 हैक्टेयर	बी-3
3	तीजादेवी पुत्री भोजाराम 64802/462889 जाति नायक, नखताराम पुत्र भोजाराम 64802/462889 जमि नायक, वरजूदेवी पुत्री भोजाराम 64802/462889, बाधूदेवी पुत्री भोजाराम 64802/462889, भंवरीदेवी पुत्री भोजाराम 64802/462889, मुलतानाराम पुत्र भोजाराम 64802/462889, लक्ष्मीदेवी पुत्री भोजाराम 64802/462889 वीरबलराम पुत्र भोजाराम 1325/88127 जाति नायक सा. देह खातेदार	जैतड़ासर	912/2912	6.6127 हैक्टेयर	बी-3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satyajit
(सत्य नारायण आर.एस.)
सहायक जज (फलोदी)
ज्वाइंट अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)

01. सवाईलाल ढोली पुत्र राणुलाल जाति ढोली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
-वादी

बनाम

01. तीजोदेवी पत्नि भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
02. नखताराम पुत्र भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
03. बरजूदेवी पुत्री भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
04. बाधूदेवी पुत्री भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
05. बीरबलराम पुत्र भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
06. भंवरीदेवी पुत्री भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
07. मुल्तानाराम पुत्र भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
08. लक्ष्मीदेवी पुत्री भोजाराम जाति नायक निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
09. सुआ पत्नि राणुलाल जाति ढोली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप

-प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 91/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे सत्य नारायण-I पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम जैतडासर पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 912/2912 रकबा 7.4057 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	सवाईलाल ढोली पुत्र राणुलाल ढोली जाति ढोली सा. देह खातेदार	जैतडासर	912/2912	0.3965 हैक्टेयर	बी-3
2	सुआ पत्नि राणुलाल जाति ढोली सा.देह खातेदार	जैतडासर	912/2912	0.3965 हैक्टेयर	बी-3
3	तीजादेवी पुत्री भोजाराम 64802/462889 जाति नायक, नखताराम पुत्र भोजाराम 64802/462889 जाति नायक, बरजूदेवी पुत्री भोजाराम 64802/462889, बाधूदेवी पुत्री भोजाराम 64802/462889, भंवरीदेवी पुत्री भोजाराम 64802/462889, मुलतानाराम पुत्र भोजाराम 64802/462889, लक्ष्मीदेवी पुत्री भोजाराम 64802/462889 बीरबलराम पुत्र भोजाराम 1325/66127 जाति नायक सा. देह खातेदार	जैतडासर	912/2912	6.6127 हैक्टेयर	बी-3

Saty
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज
की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.04.2026 को जारी की गई।



Satyaj
(सत्य नारायण, P.A.S.)
सहायक कलेक्टर
बाप (फिलोदी)

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी देवा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।